रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 30, 2003/माघ 10, 1924

No. 88] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 30, 2003/MAGHA 10, 1924

## मंत्रिमंडल सचिवालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2003

**का.आ. 107(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ सड़सठवां संशोधन) नियम, 2003 है ।

   (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की, -

   (1) प्रथम अनुसूची में,-

   (क) "3क. कोयला और खान मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षों के स्थान पर, निम्नलिखित शीषर्क रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "3क. कोयला मंत्रालय";

   (ख) "19. विधि और न्याय मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

   "20. खान मंत्रालय";

275 GI/03-1

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

क) "कोयला और खान मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षों और प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"कोयला मंत्रालय

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के भंडारों का खोज और विकास ।

2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले ।

3. इस्पात विभाग जिनके लिए जिम्मेदार हैं उनसे भिन्न कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन ।

4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संशलिष्ट तेल का उत्पादन ।

5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन ।

6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।

7. कोयला खान कल्याण संगठन ।

8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 ( 1948 का 46) का प्रशासन ।

9. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 ( 1947 का 32 ) का प्रशासन ।

10 खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32 ) के अन्तर्गत नियम ।

11 कोयला-धारक क्षेत्र ( अधिग्रहण और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) का प्रशासन ।

12. कोयले और लिग्नाइट से संबंधित पब्लिक सेक्टर के उद्यम ।

13. खान और खनिज ( विनियमन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67) तथा अन्य केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयले और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से आनुषंगिक कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल है ।';

(ख) " वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "ख. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग" उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 19 का लोप किया जाएगा ।

(ग) "वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क.आर्थिक कार्य विभाग" उपशीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 16 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"16क. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ।"

(घ) "विधि और न्याय मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी उपशीर्षों और प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"खान मंत्रालय

1. (i) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधायन, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर समुद्र अधःशायी खानें और खनिज भी हैं ।

(ii) कोयला, लिग्नाईट और भरणार्थ बालू तथा संघ के नियंत्रणाधीन विधि द्वारा यथाघोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 ( 1962 का 33) के प्रयोजन के लिए विहित पदार्थों के रूप में घोषित कोई खनिज से भिन्न खानों का विनियमन और खनिजों का विकास, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित प्रश्न और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक मामले भी है ।

2. सभी ऐसे अन्य धातु और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आबंटित नहीं है जैसे अल्युमिनियम,जस्ता,तांबा, सोना,हीरा, सीसा और निकल ।

3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता ।

4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ।

5. भारतीय खान ब्यूरो ।

6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी अन्य संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

7. जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित किए गए हैं, उनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के धीन आने वाले पब्लिक सेक्टर उद्यम और उपकम ।

8. मैटलार्जिकल ग्रेड सिलिकोन ।';

(ङ.) "कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग" के अधीन, प्रविष्टि 20(क) का लोप किया जाएगा ।";

(च) "मंत्रिमंडल सचिवालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (1947 का 2 ); केन्द्रीय जांच ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जिसके अंतर्गत विधि प्रभाग, तकनीकी प्रभाग, नीति प्रभाग, और प्रशासन प्रभाग भी है); खाद्य अपराध स्कंध और आर्थिक अपराध स्कंध ।"

आ.प.जै. अब्दुल कलाम
राष्ट्रपति।

---

[फा. सं. 1/22/1/2003-मंत्रि.]

अतुल कौशिक, उप सचिव

## CABINET SECRETARIAT

## NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2003

**S.O. 107(E)**.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and sixty - seventh Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in the First Schedule,-

(a) for the heading "3A. Ministry of Coal and Mines" and the sub-headings relating thereto, the following heading shall be substituted, namely:-

"3A. Ministry of Coal (Koyala Mantralaya)";

(b) after the heading "19. Ministry of Law and Justice (Vidhi aur Nyaya Mantralaya)" and sub-headings relating thereto, the following heading shall be inserted, namely:-

"20. Ministry of Mines (Khan Mantralaya)";

(2) in the Second Schedule,-

(A) for the heading "MINISTRY OF COAL AND MINES (KOYALA AUR KHAN MANTRALAYA)" and the sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF COAL (KOYALA MANTRALAYA)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.
2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.
3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.
4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.
5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974)
6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.
7. The Coal Mines Welfare Organisation.

8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).

9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.

11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).

12. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.

13. Administration of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States.";

(B) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION (AUDYOGIK NITI AUR SAMVARDHAN VIBHAG)", the entry 19 shall be deleted.

(C) under the heading "MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (VITTA AUR KAMPANY KARYA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", after entry 16, the following entry shall be inserted, namely:-

"16A. Foreign Investment Promotion Board (FIPB).";

(D) after the heading "MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)" and sub-headings and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto, shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF MINES (KHAN MANTRALAYA)

1. (i) Legislation for regulation of mines and development of minerals within the territory of India, including mines and minerals underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf, or the exclusive economic zone and other maritime zones of India as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.

(ii) Regulation of mines and development of minerals other than coal, lignite and sand for stowing and any other mineral declared as prescribed substances for the purpose of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) under the control of the Union as declared by law, including questions concerning regulation and development of minerals in various States and the matters connected therewith or incidental thereto.

2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Ministries/Departments, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.

3. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

4. Geological Survey of India.

5. Indian Bureau of Mines.

6. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

7. Public Sector Enterprises and undertakings falling under the subjects included in this list, except those which are specifically allotted to any other Department.

8. Metallurgical Grade Silicon.";

(E) under the heading "MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (KARMIK, LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING (KARMIK AUR PRASHIKSHAN VIBHAG)", entry 20(a) shall be omitted.";

(F) under the heading "CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)", after entry 2, the following entry shall be added, namely:-

"3. The Prevention of Corruption Act, 1947 (2 of 1947); the Central Bureau of Investigation (the Delhi Special Police Establishment including the Legal Division, the Technical Division, the Policy Division, and the Administration Division); the Food Offences Wing; and Economic Offences Wing.".

A.P.J. ABDUL KALAM
PRESIDENT.

[F. No. 1/22/1/2003-CAB.]

ATUL KAUSHIK, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.